14. हकीम महमूद अजमेरी गांगड़ी,
मोहल्ला सराय,
पोस्ट गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — सदस्य

15. डा० सैयद कासिम, — सदस्य
अवकाश प्राप्त यूनानी चिकित्सक,
सं० 2207, चालीसवां क्रास रोड,
चौथा "टी" ब्लाक, जयनगर, बंगलौर--560011

16. निदेशक, — सदस्य
भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी पद्धति,
कर्नाटक सरकार, बंगलौर

17. निदेशक, — सदस्य सचिव
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर

इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में रिपोर्ट

518. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोपैथी इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में एक जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने हेतु गठित विशेष समिति (डा० एस डी० शर्मा जांच समिति) की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) डा शर्मा की अध्यक्षता में, इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंध में विचारार्थ विषयों के अनुसरण में गठित विशेष समिति की रिपोर्ट 4-11-1991 को प्राप्त हुई थी । तथापि, चूंकि मामला निर्णयाधीन है, अतः इस रिपोर्ट पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश के भूकंप पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता

519. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी क्षेत्र में हाल ही में आए भूकंप में भूकंप पीड़ितों और घायलों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भेजी गई चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : चिकित्सीय स्वास्थ्य उपकरणों के जो 10 पैकेट (जैसा कि नीचे दिए गए विवरण-I में बताया गया है) विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपहार मदों के रूप में प्राप्त हुए थे, वे उत्तर प्रदेश सरकार को भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए गए थे । इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों के 2 पैकेट (जैसा कि नीचे दिए गए विवरण-II में बताया गया है) दिए गए थे, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को भूकंप से ग्रस्त हुए व्यक्तियों में वितरित करने के लिए 67.00 लाख रुपए तक के मूल्य की राहत सामग्री भी भेजी गई है ।

विवरण--I

कोड नं०	विवरण	मात्रा
	कॉलि एन० आर० : 1-7 41-41 किलो ग्राम	
औषधें :		
024600	एसिटाइलसेलिसाइक्लिक एसिड 300 मि० ग्राम०	3×1000 गोलियां
431500	अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 500 मि० ग्रा०	1×1000 गोलियां
370600	बेंजाइल बेंजोएट एप्लीकेशन 25%	1×1 लीटर
371201	सेंटरीमाइड 15% क्लोरेक्सीडाइन डाइग्लूकोनेट 1.5%	1×1 लीटर
163500	क्लोरोक्वीन फास्फेट 150 मि० ग्रा०	2×1000 गोलियां
512700	को-ट्राइमोक्साजोल 400 मि० ग्रा० +80 मि०ग्रा०	2×2000 गोलियां
595000	फैरस सल्फेट 200 मि०ग्रा० फॉलिक एसिड 0.25 मि०ग्रा०	2×1000 गोलियां
759002	जैसियनवायोलट	4×25 ग्राम
134003	मेबेंडाजोल 100 मि० ग्रा०	1×500 गोलियां
685400	ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट 1000 मि० ग्रा० पानी के लिए	4×50 पैक
027500	पैरासिटामोल 100 मि० ग्रा०	1×1000 गोलियां
328404	टैट्रासाइक्लिन 1% आई-ओयंटमेंट 5 ग्रा०	1×50 ट्यब
बदली जाने वाली आपूर्तियां :		
949000	एडेसिव टैप 2.50 सें० मी०×55 मी०	30×1 रोल
855212	बाल पेन	10×1 पीस
874404	ब्लॉकनोट ए 6	10×1 पीस
876584	"उपचार दिशा-निर्देश" पुस्तिका डब्ल्यू एच ओ/यू एन एच ओ आर मूल किट	2×1 पीस
940100	रुई 500 ग्राम	2×1 पीस
946301	इलास्टिक पट्टी 8स० मी०×5 मी०	20×1 रोल
847773	जांच करने के लेटेक्स मिडियम दस्ताने डिस्पोजेबल	2×100 पीस
953700	गेज कंप्रेसिज 10×10 सेंमी०, 12 प्लाई, गैर-संक्रमित	5×100 पीस
906600	स्वास्थ्य कार्ड 10000पर्स/किट ई एन जी/आर+प्लास्टिक बैंक	1×500 पीस
947100	हाइड्रोफाइलिक बेंडेज 7.5×10 मी०	10×10 रोल
840550	नोट बुक हैंड कवर	4×1 पीस

1	2	3
377601	सांबूत, अनरैप्ड 200 ग्राम	1×10 पीस
728000	टैबलेट बैग पुनः सील किए जाने वाले 60×80 मि०मी० मिनी ग्रिप	4×500 पीस
725002	थर्मामीटर ओरल ओ/एफ क्लिनिकल स्टबी, प्रिज्मी	5×1 पीस
उपकरण		
731900	बोतल 100 मि०लि० , प्लास्टिक ई 11511	1×1 पीस
847248	बाल्टी प्लास्टिक 10 लीटर	1×1 पीस
719300	थाली (क्लोनी) छोटा साइज 24 सेंमी०	1×1 पीस
733700	ट्रेडिंग ट्रे 30X20X2 सें० मी०	1×1 पीस
872972	सुई के लिए ड्रम और गेज डायमीटर 15 सेंमी० ऊंचा 15सेंमी०	2×1 पीस
723600	चिमटी, आर्टरी, पीन 14.5 सेंमी० सीधी	2×1 पीस
848032	गेलिपोट छोटा साइज	1X1 पीस
731800	प्लास्टिक बोतल 10000 मिली० (स्क्रूकैप के लिए देखें 731700)	3×1 पीस
730200	कैंची, सर्जिकल बी०एल०बी एल० , सीधा, 14.5 सेंमी०	2×1 पीस
731700	प्लास्टिक बोतल के लिए स्क्रूकैप 1000 मि०ली० (731800)	3×1 पीस
872741	स्क्रूकैप एच पी ई रेड 24 मिमी० ई० 11505 (ई1151 इ 11519 के लिए)	1×1 पीस 1×1 पीस
702201	सिरिंज लयोर 10 मिली० डिस्प०	2×1 पीस
894200	सर्जिकल स्क्रब ब्रुश किटाणु रहित किया जाने वाला	2×1 पीस
847949	वाटरबैग, मुड़ने वाला, 20 लीटर मजबूत किस्म का	1X1 पीस
734200	लिड सहित उपस्कर बाक्स छोटा साइज 20X10.5 सेंमी ड्रेसिंग सेट के रूप में शामिल	2X1 पीस
723600	चिमटी आर्टरी, पीन 14.5 सेंमी० सीधी	2X1 पीस
722000	चिमटी, डाइसेक्टिंग 14.5 सेंमी०	2×1 पीस
729400	कैंची सर्जिकल बी एल/बी एल, सीधा 14.5 सेंमी०	2×1 पीस

कॉलि+7 प्रत्येक 60X50X60 सेंमी० ।

कुल 7 कॉलि, कुल भार 287 किलोग्राम ।

विवरण—II

1. इंजेक्शन एम्पीसिलीन	50 बॉयल
2. इंजेक्शन एमिनोफिलिन 5 मिली० एम्प्यूल	50 एम्प्यूल
3. इंजैक्शन डेक्ट्रोज 10%	2
4. इंजेक्शन रिंगर्स लक्टेट	2
5. इंजेक्शन डेक्ट्रोज सलीन	2
6. इंजेक्शन लोसोडेक्स	1 बोतल
7. एअरवे	5
8. कैप० एम्पिसिलीन	1,000
9. इंडोट्रेसिल ट्यूब (वयस्क एवं बच्चे)	10
10. टैब० पैरासीटामोल 500 मिग्रा०	800
11. लरिंगोस्कोप (वयस्क एवं बच्चे)	2 सैट
12. ट्रेकोस्टोमी सैट	2 सैट

पैक मदों का ब्यौरा

1. इंजेक्शन टैटनसटाक्साइड 10 मिली०	150 वायल्स
2. इंजैक्शन केटामिन 10 मिग्रा०/मिली०	20 "
3. इंजेक्शन पेन्टाथोल्सोडियम 0.50 मिग्रा०	50 "
4. इंजेक्शन थेरिफिलिन 2 मिली० एम्प्यूल	50 एम्प्यूल
5. माउथ गाग	5
6. इंडेक्शन डैक्समेंत्रसोन 2 मिली वायल	50 वायल्स
7. एंटरी फोरोंकैप	25
8. निडिल होल्डर	25
9. डिसेक्टिंग फोरसेप	26
10. ब्रब डिसप्रिन	720
11. डिसपोजबल सिरिंज 5 मिली०	100

Tobacco Menace

520. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have recently formulated any scheme to impart health education to the people in order to combat the menace of tobacco; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) For quite some time the Government has been trying to educate the people about the harmful effects of Tobacco. Under the Cigarette (Regulation of production, supply and distribution) Act, 1975, it has been made mandatory to print Statutory-Warning on every cigarette packet or in its advertisement that "Smoking is injurious to Health".